



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 361 राँची, शुक्रवार, 26 ज्येष्ठ, 1945 (श०)  
16 जून, 2023 (ई०)

---

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

-----

राज्यादेश

15 जून, 2023

संचिका सं०-5/स०भू० धनबाद (लीज बंदोबस्ती)-55/2022-2079(5)/रा०--  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**31.05.2023** में मद संख्या-**18** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा अंचल के मौजा-कपुरिया/**349**, हाल खाता सं०-**251**, हाल प्लॉट सं०-**1744** में अंतर्निहित कुल रकबा-**0.05** एकड़ गैर आबाद खास, किस्म पुरातन पतित काविल आबाद खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I), राजस्व विभागीय संकल्प सं०-**48/रा०**, दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य **67,78,600/-** (सड़सठ लाख अठहत्तर हजार छः सौ) रुपये प्रति एकड़ की दर से संगणित सलामी की राशि **3,38,930/-** (तीन लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस) रुपये तथा सलामी का एक **(01)** प्रतिशत वार्षिक लगान

**3,389/-** (तीन हजार तीन सौ नवासी) रुपये एवं लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **2,542/-** (दो हजार पाँच सौ बयालीस) रुपये तथा **29** वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि **1,71,999/-** (एक लाख इकहत्तर हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **5,16,860/-** (पाँच लाख सोलह हजार आठ सौ साठ) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नकII) की अदायगी पर श्रीमती संगीता देवी, पति-श्री गौतम कुमार, सा0-लालबंगला, थाना-महुदा, जिला-धनबाद के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प तक आवागमन के प्रयोजन हेतु **30** वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- i. उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **“0029 भू-राजस्व-107”** के अंतर्गत जमा होगी।
- v. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, धनबाद यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- vi. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

- vii. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- viii. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,  
सरकार के अपर सचिव।

संचिका सं०-5/स०भू० धनबाद (लीज बंदोबस्ती)-55/2022-2079(5)/रा०--

दिनांक-15.06.2023

## अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

| क्र       | अभिलेख सं० | अंचल    | मौजा    | थाना सं० | हाल खाता सं० | हाल प्लॉट सं० | प्रस्तावित रकबा(ए०में) | भूमि का किस्म                            |
|-----------|------------|---------|---------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1.        | 03/2020-21 | बाघमारा | कपुरिया | 349      | 251          | 1744          | 0.05                   | गैर आबाद खास<br>(पुरानी परती काविल आबाद) |
| कुल रकबा- |            |         |         |          |              |               | 0.05                   |                                          |

## अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

| क्र० सं० | अभिलेख सं० | मौजा का नाम | रकबा( ए० में) | बाजार दर प्रति एकड़(रूपये में) | सलामी की राशि(रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़ | लगान (सलामी का 1%) (रूपये में) | सेस (लगान का 75%) (रूपये में) | अन्य (29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस) (Rent+ Cess) X 29 (रूपये में) | कुल देय राशि (रूपये में)<br>(6+7+8+9) |
|----------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2          | 3           | 4             | 5                              | 6                                                       | 7                              | 8                             | 9                                                               | 10                                    |
| 1        | 03/2020-21 | कपुरिया     | 0.05          | 6778600                        | 338930                                                  | 3389                           | 2542                          | 171999                                                          | 516860                                |
|          | कुल        |             | 0.05          | -----                          | 338930                                                  | 3389                           | 2542                          | 171999                                                          | 516860                                |

अर्थात् 5,16,860/- (पाँच लाख सोलह हजार आठ सौ साठ) रुपये मात्र ।

सरकार के अपर सचिव ।

-----